



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 13) पटना, मंगलवार, 5 जनवरी 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जनवरी 2021

सं० सं०-एल०आर०टी०-०१-०१/२००१/९२८३/जे०—विधि विभागीय अधिसूचना सं०-१९०३/जे०, दिनांक २०.०४.२०१० द्वारा गठित एवं अधिसूचना सं०-१५८८/जे०, दिनांक-०९.०३.२०१६ द्वारा विघटित, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के लिए बिहार राज्यपाल, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, १९५० (बिहार अधिनियम १, १९५१) (यथा संशोधित बिहार अधिनियम १, २००७) की धारा-८(१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अखिलेश कुमार जैन (सेवानिवृत्त, विधि सचिव) को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् का अध्यक्ष विभागीय अधिसूचना सं०-६०६७/जे०, दिनांक-२८.०८.२०१९ एवं शुद्धि पत्र ज्ञाप सं०-६१२४/जे०, दिनांक-३०.०८.२०१९ द्वारा नामित किया गया था।

चूँकि पर्षद् का पूर्णरूपेण गठन नहीं किया जा सका था, इसलिए बिहार राज्यपाल, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, १९५० की धारा-८(१)(४) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त करते हैं:-

१.	श्री अखिलेश कुमार जैन, पूर्व विधि सचिव	अध्यक्ष
२.	श्री हरि भुषण ठाकुर, “बचौल” सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
३.	श्री नीरज कुमार, सदस्य, बिहार विधान परिषद्	सदस्य
४.	डॉ० कालिका दत्त झा, विभागाध्यक्ष, संस्कृत ललित नारायण विश्वविद्यालय, दरभंगा	सदस्य
५.	श्री विजय गिरी, पुजारी, बड़ी पटनदेवी मंदिर, पटना सिटी, पटना	सदस्य

6.	श्री शुक्देव दास जी, महन्थ बगही मठ, सीतामढ़ी	सदस्य
7.	श्री चन्दन कुमार सिंह, देवचौरा, अन्दर गया, निकट विष्णुपद मंदिर, गया-823001.	सदस्य
8.	डॉ० रणवीर नन्दन, पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद	सदस्य
9.	श्री रत्नेश सादा, सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
10.	श्री गणपति त्रिवेदी, अधिवक्ता, पटना	सदस्य

2. यह तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 13-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>